

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 11/01/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यावर्त

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में 11/01/2022 पूर्वाह्न 11:30 बजे को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोएडा एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

A. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

1. श्री नितिन गुप्ता, उप. विकास आयुक्त, एनएसईजेड (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित)।
2. श्री नरेश कुमार तिवारी, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती पोम्पी दास, सहायक आयुक्त, डीआईसी, नोएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)।
4. श्री नीरज कुमार, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
5. श्रीमती। मीनाक्षी नारंग, प्रबंधक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।
6. श्री राकेश कुमार, एफटीडीओ, कार्यालय अपर. डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री अमित गुप्ता, उप आयुक्त सीमा शुल्क और निर्दिष्ट अधिकारी, एनएसईजेड, (ii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, एनएसईजेड, (iv) लाल बाबू प्रसाद, अधीक्षक एनएसईजेड सीमा शुल्क, (v) एस.के. भारती जोई, यूपीपीसीएल नोएडा, (vi) सुश्री दीपा अरोड़ा, सहायक वैज्ञानिक अभियंता, यूपीपीसीबी, नोएडा और (vii) अरुण सिंह परिहार, आशुलिपिक, परियोजना अनुभाग, एनएसईजेड, भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित कोरम उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में, अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद कार्यसूची में शामिल मदों को एक-एक करके विचार-विमर्श के लिए लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों / इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) अनुमोदन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन 17/12/2021।

यह सूचित किया गया कि लक्ष्मण ओवरसीज ने 17/12/2021 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णय के विरुद्ध वेयरहाउसिंग अनुरोध पर पुनर्विचार के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसे तत्काल बैठक में एक अलग एजेंडा के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा, दिनांक 17/12/2021 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध कोई अन्य संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमोदन समिति ने इसे नोट किया और तदनुसार, 17/12/2021 को हुई बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) जी वेंचर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड - एनएसईजेड में एक नई इकाई की स्थापना।

2.1 श्री विकास कुमार, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि आवेदक के पास आयातक निर्यात कोड (आईईसी) नहीं है।

2.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मैसर्स जी वेंचर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एनएसईजेड में "आईटी और आईटीईएस" (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब/वॉयस इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस, वीओआइपी बिलिंग सॉल्यूशंस, वीओआइपी सपोर्ट, डोमेन होस्टिंग और वेब डेवलपमेंट (सीपीसी कोड: 8421)) के लिए एक इकाई स्थापित करने के लिए के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जोकि उनके आवेदन में पाई गई कमियों के सुधार के अधीन है। अनुमोदन समिति ने आवेदक को आईईसी प्राप्त करने और एनएसईजेड में गतिविधियों के शुरू होने से पहले इसकी एक प्रति इस कार्यालय में जमा करने का भी निर्देश दिया।

(3) ओनसिनेक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड - एलओए में अतिरिक्त अधिकृत कार्यों को शामिल करना।

3.1 श्री हर्ष टक्कर, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। यह बताया गया कि अनुमोदन समिति ने दिनांक 03/08/2021 को हुई अपनी बैठक के M/s ओनसिनेक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के, 'शाराब के भंडारण' प्रस्ताव को, शाराब के शुल्क मुक्त दुकानों को निर्यात और बिक्री के लिए इकाई को मंजूरी दी आईटीसी (एचएस) कोड प्रस्तुत करने के अधीन था। यूनिट ने 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2008 के रूप में एचएस कोड प्रस्तुत

किए हैं। इनमें से एचएस कोड 2202 पानी का है जिसमें मिनरल वाटर और ऐरेटेड पानी शामिल है। इसके अलावा, एचएस कोड 22072000 आयात के साथ-साथ निर्यात के लिए भी प्रतिबंधित है।

3.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद देखा कि 2202 से संबंधित मद में पहले से ही इकाई के अधिकृत संचालन में कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए इसके लिए किसी नए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। आईटीसी एचएस कोड 22072000 के तहत, अनुमोदन समिति ने इसे इस शर्त के अधीन अनुमति दी कि प्रतिबंधित माल की डीटीए बिक्री या डीटीए खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी। समिति ने दिनांक 03.08.2021 और इस बैठक में लिए गए अपने अनुमोदन/निर्णय से तदनुसार इकाई को अवगत कराने का निर्देश दिया।

**(4) किशन लाल ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड - एलओए में अतिरिक्त अधिकृत कार्यों को शामिल करना।**

4.1 श्री अजय गुप्ता, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

4.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद M/s किशन लाल ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड को (i) कीमती/अर्ध-कीमती पत्थरों (71111940) और (ii) हीरे जड़ित सोने के आभूषण (711131930) के निर्माण के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ सम्मिलित करने की अनुमति दी कि इकाई निर्धारित मूल्यवर्धन मानदंडों को प्राप्त करेगी।

**(5) एओवी इंटरनेशनल एलएलपी एलओए के नवीनीकरण, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, भागीदारों में परिवर्तन और लाभ और हानि शेयर अनुपात और प्रदर्शन की निगरानी के लिए।**

5.1 अनुमोदन समिति ने पाया कि एनएसडीएल डेटा की तुलना में एपीआर डेटा में कुछ अंतर था। इसके अलावा, यूनिट ने सूचित किया है कि उन्होंने एपीआर के डीटीए बिक्री कॉलम में डीम्ड एक्सपोर्ट और थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट दिखाया है। इसलिए, यूनिट को पिछले पांच वर्षों के ब्लॉक के लिए संशोधित और सही एपीआर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

5.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी और “M/s. AOV इंटरनेशनल एलएलपी की LOA को वर्तमान पांच वर्षों के

ब्लॉक की शेष अवधि के लिए अर्थात् 17/11/2026 तक प्रस्तावित अधिकृत कार्यों के लिए नवीकरण करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार भागीदारों में परिवर्तन और लाभ और हानि शेयर अनुपात में परिवर्तन को भी नोट किया। समिति ने आगे ईएम डिवीजन, एनएसईजेड को नोएडा एसईजेड प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार स्थानांतरण शुल्क, यदि कोई हो, तो उसके के संबंध में मामले की जांच करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने प्रदर्शन की निगरानी के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और इकाई को पिछले पांच वर्षों के ब्लॉक के लिए संशोधित और सही एपीआर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

#### (6) बाबा ग्लोबल लिमिटेड - निदेशकों में परिवर्तन।

6.1 कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अंकुर गुप्ता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

6.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार कंपनी के निदेशकों में परिवर्तन नोट किया।

#### (7) अप्पी पाई एलएलपी (यूनिट-1) - अधिकृत संचालन के नामकरण में परिवर्तन और प्रदर्शन की निगरानी के लिए दी गई अनुमति का अनुसमर्थन दिया।

7.1 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 'आईटी सेवाओं, मोबाइल ऐप बिल्डर सॉफ्टवेयर (ऐप मेकर)' से "(i) सिस्टम डिज़ाइन सर्विसेज CPC: 8423, (ii) सिस्टम और सॉफ्टवेयर परामर्श सेवाएं (CPC:8421), (iii) प्रोग्रामिंग सेवाएं (CPC:8424)" के लिए अधिकृत संचालन के नामकरण में परिवर्तन के लिए दी गई अनुमति की पुष्टि की।

7.2 अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा प्रस्तुत एपीआर और एनएसडीएल डेटा के आधार पर पिछले पांच वर्षों के ब्लॉक के दौरान इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और 31.03.2020 को इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई आय की उपलब्धि पर ध्यान दिया।

(8) जीएसआर इंडस्ट्रीज - नोएडा कस्टम कमिश्नरेट द्वारा जारी ऑर्डर-इन-ओरिजिनल के मद्देनजर एलओए की समीक्षा।

8.1 स्वीकृति समिति के समक्ष इकाई के प्रतिनिधि श्री प्रकाश सिंहा उपस्थित हुए। अनुमोदन समिति ने पाया कि फर्म का कोई भी भागीदार बैठक के लिए उपस्थित नहीं हुआ है।

8.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर चर्चा की और यूनिट के कर्मचारी द्वारा शुल्क योग्य माल को हटाने की घटना को गंभीरता से लिया। समिति ने अगली बैठक में फर्म के भागीदारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए इकाई को निर्देश दिया और प्रस्ताव को स्थगित कर दिया।

#### (9) AIR IT - प्रदर्शन की निगरानी।

9.1 इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। यह बताया गया कि यूनिट के प्रमोटर ने अपने ईमेल दिनांक 11.01.2022 के माध्यम से प्रस्ताव को स्थगित करने का अनुरोध किया है क्योंकि वह वर्तमान में एक कारंटाइन सुविधा के तहत है और उनके पास बुनियादी आईटी सेटअप नहीं है।

9.2 अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और मामले को अपनी अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया।

#### (10) एनफेज सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड - एलओए में अतिरिक्त अधिकृत कार्यों को शामिल करना।

10.1 यूनिट के प्रतिनिधि श्री एस. थमारन और श्री रवि जोशी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपना प्रस्ताव समझाया। श्री थमारन ने आगे बताया कि उन्होंने मई 2021 में अपनी निर्यात गतिविधियां पहले ही शुरू कर दी हैं।

10.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, M/s एनफेज सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को अतिरिक्त अधिकृत कार्यों को शामिल करने के लिए अर्थात् एलओए में (i) सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज और आईटी सपोर्ट सर्विसेज (सीपीसी कोड 84230, 84240, 84250) और (ii) बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज (सीपीसी कोड 86501, 86509, 86401, 86220) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।। अनुमोदन समिति ने इकाई को उनके द्वारा अब तक किए गए निर्यात का विवरण, प्रथम निर्यात बीजक की प्रति और उत्पादन शुरू होने की

तिथि के ऑनलाइन आवेदन के साथ सेजोनलाइन प्रणाली पर इस कार्यालय के अनुरोध के अनुसार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

**(11) विभिन्न इकाइयों के एलओए के तहत अनुमत अधिकृत संचालन के आईटीसी एचएस कोड के अद्यतन के लिए दी गई अनुमतियों के अनुसमर्थन से संबंधित प्रस्ताव।**

11.1 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद आईटीसी एचएस के अद्यतन के लिए दी गई निम्नलिखित अनुमति की पुष्टि की।

LOA के तहत अनुमत अधिकृत संचालन के कोड़:

| क्र.सं. | इकाई का नाम   | जारी पत्र दिनांक |
|---------|---------------|------------------|
| 1.      | India Exports | 27/12/2021       |

**(12) प्रभात जरदा फैक्ट्री (ओवरसीज) - एलओए का नवीनीकरण।**

12.1 श्रीमती छाया देवी, मालकिन, श्री आनंद कुमार, प्रतिनिधि के साथ अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। अनुमोदन समिति ने देखा कि श्रीमती छाया देवी अन्य एनएसईजेड इकाइयों, जो काम नहीं कर रहे हैं, जैसे की M/s अक्सासिया क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड और एमेक्स टेकफैब प्राइवेट लिमिटेड में भी निदेशक हैं। इसके अलावा M/s एमेक्स टेकफैब प्राइवेट लिमिटेड भी वैध नहीं है और यूनिट ने इसके एलओए नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है।

12.2 यह सूचित किया गया कि M/s प्रभात जरदा फैक्ट्री (ओवरसीज) प्लॉट नंबर 142-I, एनएसईजेड में M/s अक्सासिया क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझा काम कर रही है। हालांकि, साझा करने की अनुमति वर्तमान में मान्य नहीं है और इकाई ने साझा करने की अनुमति के विस्तार के लिए भी आवेदन नहीं किया है।

12.3 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, के M/s प्रभात जर्दा फैक्ट्री (ओवरसीज) की एलओए को 6 महीने के लिए अर्थात् 18/07/2022 तक नवीनीकृत करने का निर्णय इस शर्त के अधीन लिया कि इकाई स्थान प्राप्त एवं सुनिश्चित करेगी और अपना संचालन करने से पहले अनुमति साझा करेगी। अनुमोदन समिति ने श्रीमती छाया देवी को आगे निर्देश दिया कि इस संबंध में M/s एमेक्स टेकफैब प्राइवेट लिमिटेड

के एलओए नवीनीकरण आवेदन के साथ औद्योगिक लाइसेंस की प्रति प्रस्तुत करें और उक्त इकाई के संबंध में बकाया पट्टा किराया जमा करना भी सुनिश्चित करें।

**(13) सी एंड बी अरोमास एलएलपी - ग्लिसरीन के बिना बिके स्टॉक की डीटीए बिक्री के लिए एकमुश्त अनुमति के लिए अनुरोध।**

13.1 यूनिट के सीईओ श्री सतीश बाबर अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उनके प्रस्ताव को समझाया। अनुमोदन समिति ने पाया कि ग्लिसरीन का आईटीसी (एचएस) कोड 29252990 दिया गया है जो सही नहीं लगता है।

13.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार विमर्श के पश्चात्, ग्लिसरीन के बिना बिके स्टॉक की डीटीए बिक्री के लिए एक बार अनुमति देने का निर्णय लिया गया, बशर्ते कि ग्लिसरीन का सही आईटीसी (एचएस) कोड प्रस्तुत किया जाए और ग्लिसरीन के ऐसे स्टॉक की खरीद के लिए विस्तृत कारण पर एक राइट अप जमा किया जाए।

**(14) लक्ष्मण ओवरसीज - अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना और वेयरहाउसिंग अनुरोध पर पुनर्विचार करना।**


14.1 श्री विपुल अग्रवाल, मालिक और श्री विकास अग्रवाल, प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपना प्रस्ताव समझाया। कमिटी ने पाया कि यूनिट आवंटित परिसर से मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है।

14.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, वाणिज्य विभाग ( MEITY और डीजीएफटी को कॉपी में रखते हुए ) से डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 5/2015-2020 दिनांक 07/05/2019 द्वारा पुनः निर्यात के लिए इलेक्ट्रॉनिक और आईटी सामानों के आयात पर लगाए गए प्रतिबंध की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। अनुमोदन समिति ने नोट किया कि इकाई अपने मूल एलओए के अनुसार विनिर्माण के लिए आदेश प्राप्त करने में असमर्थ होने के कारण नॉएडा सेज के भीतर एसईजेड इकाइयों के लिए वेयरहाउसिंग करना चाहती थी। समिति ने आगे वेयरहाउसिंग पर विचार करने के प्रस्ताव की फाइल पर पुनः जांच करने और इसे निर्णय के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। समिति ने यूनिट को अपने बकाया लीज रेंट को चुकाने और परिसर को विनिर्माण गतिविधियों के लिए उपयोग करने के प्रयास का भी निर्देश दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।



(नितिन गुप्ते)



(ए अभिषेक मेनन)

उप. विकास आयुक्त

विकास आयुक्त